No

संख्या–1370/26–3–2011–10(5)/2006–टी0सी0–1

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 11 अप्रैल, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–80 के आयोजनागत पक्ष में सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 08/स0क0/विकास/2011–12, दिनांक 4–4–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 12.50 करोड़ के सापेक्ष वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21–3–2011 के अधीन प्रथम छमाही के खर्चों को वहन करने के लिए रू0 6,25,00,000/– (रूपया छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में अब तक शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि पी0एल0 ए0 /डाकघर/ डिपाजिट खातों आदि में जमा नहीं है तथा पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और अवमुक्त धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(2) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901 / दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(3) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आवश्यकता के अनुरूप ही जनपदवार आवंटन किया जाये। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन को छोड़कर

rk go

अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण त्रैमासिक किस्तों में किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) विगत वर्ष 2010—11 में अवमुक्त की गयी तथा उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये समय—समय पर शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध कराते समय उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय कर लिये जाने का उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2— उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2011—12 के आय व्ययक में अनुदान सं0—80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक— 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—आयोजनागत— 200—अन्य कार्यक्रम—06— सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता—20— सहायता अनुदान—सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0—बी—1—901/दस— 2011—231/2011 दिनांक 21—3—2011 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या— 1370(1)/26—3—2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग—1/2
5— राज्य योजना आयोग अनुभाग—1/2
6— निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7— सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

rk go